

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन, जिला बाड़मेर

क्रमांक/भू.अ./2022/ 760

दिनांक 11/04/2022

प्रार्थीगण :-

1.सुराराम पुत्र मेहाराम, जाति जाट
निवासी हीरोणियों का तला (बिसारणिया)
तहसील चौहटन जिला बाड़मेर।

विप्रार्थीगण :-

1.खुमाराम 2.देवाराम 3.भींयाराम पि.चोलाराम
4.ठाकराराम 5.हेमाराम पि.टीकमाराम 6.नोजी पत्नि
टीकमाराम 7.मेगाराम पुत्र दीपाराम 8.धनी पत्नि
भूराराम 9.जोगेन्द्र उर्फ जोगाराम 10.बांकाराम
11.नानगाराम पि.भूराराम 12.फूसाराम 13.पुरखाराम
14.विरधाराम पि.हेमाराम 15.घमण्डाराम
16.भानाराम 17.कलाराम 18.उदयसिंह पि.
सिरामाराम 19.रावताराम 20.मदाराम पि.रुगाराम,
जाति जाट, निवासी हीरोणियों का तला
तहसील चौहटन जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राज.भू.राजस्व अधिनियम

वास्ते करने नेखमबंदी बाबत।

राजस्व आवेदन सं. 24/2020

दिनांक : 05.04.2022

आदेश

तहसीलदार धनाऊ को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील धनाऊ, पटवार क्षेत्र बिसारणिया के मौजा हिराणियोंका तला के खेत खसरा सं. 55 रकबा 00.04 बीघा, खसरा सं. 56 रकबा 51.06 बीघा एवं खसरा सं. 244 रकबा 25.02 बीघा भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु आपको कमिशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमि की नेखमबंदी/पेमाईश आप अपने स्तर पर किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो दोनों पक्षों के रूबरू मुस्तकिल/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर विधिसम्मत तरीके से उपरोक्त भूमि की नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में अवश्य पेश करे।

नेखमबंदी के दौरान विप्रार्थीगण के हितो पर कुठाराघात न हों। आवश्यकता होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है। प्रार्थीगण कमिशनर को कमिशनर फीश रुपये 500/- मौके पर अदा करेंगे।



क्रमांक/भू.अ./2022/ 761 to 764
प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार धनाऊ
2. प्रार्थी सुराराम
3. विप्रार्थीगण खुमाराम वगैरा
4. थानाधिकारी पुलिस थाना चौहटन/बीजराड़/धौरीमन्ना

(भागीरथ राम II)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
चौहटन
दिनांक 11/04/2022



उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
चौहटन